समक्ष माननीय आर. एस. मोंगिया और वी. एस. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

सतीश कुमारी और अन्य,-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा और अन्य राज्य,-उत्तरदाता
1996 का सी डब्ल्यू पी 5633

27 सितंबर, 1996

पंजाब वन अधीनस्थ सेवा (मंत्रिस्तरीय अनुभाग) नियम। 1943-नियम 9-सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता-विशिष्ट शर्तों पर कुछ कर्मचारियों का अवशोषण-अंतर-वरिष्ठता का निर्धारण।

अभिनिर्धारित है कि विभाग में अवशोषण एक वैधानिक अधिकार नहीं है। मुख्य प्रधान वन संरक्षक द्वारा यह विशेष रूप से कहा गया था कि अवशोषण पर वे विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगे, जिसका अर्थ है कि यदि निजी उत्तरदाताओं को अवशोषित किया जाता है, तो माना जाएगा कि उन्हें उक्त तिथि पर विभाग में नियुक्त किया गया था। निश्चित रूप से हमारा विचार है कि अवशोषण,अवशोषण के नियमों और शर्तों पर होना चाहिए। अवशोषण विशिष्ट शर्तों पर था कि वे पहले से ही सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता में सबसे नीचे रैंक करेंगे। नतीजतन, हमारा विचार है कि निजी उत्तरदाता केवल वन विभाग में अपने समावेशन की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के हकदार थे, न कि (डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं में उनकी नियुक्ति की तारीखों से।)

(पैरा 9 &10)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जे. वी. यादव

प्रतिवादी 3 से 8 के लिए अनमोल रतन ए. ए.जी हरियाणा, सूर्यकांत, अधिवक्ता

फैसला

आर. एस. मोंगिया न्यायमूर्ति,

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य के वन विभाग में सहायक/क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता संख्या 1 से 7 को वन विभाग में नियुक्त

किया गया था क्योंकि उनके नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से और विभाग में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयन के बाद विधिवत प्रायोजित किए गए थे। उन्हें शुरू में 26 जुलाई, 1975 से 19 अक्टूबर, 1977 के बीच तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में 1 जनवरी, 1980 से प्रभावी रूप से नियमित किया गया था। याचिकाकर्ता संख्या 8 से 45 (याचिकाकर्ता संख्या 35 और 36 को छोड़कर) को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा 17 अक्टूबर, 1980 से 1 नवंबर, 1986 की अवधि के बीच नियमित आधार पर चुने जाने के बाद नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता नं. 35, प्रह्लाद चंद को शुरू में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को 15 सितंबर, 1982 से नियमित किया गया था। याचिकाकर्ता नं. 36, श्रीमती. शशि बाला को शुरू में 12 अक्टूबर, 1978 को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और 15 सितंबर, 1982 से उन्हें नियमित किया गया था। याचिकाकर्ता नं. 45 को 4 जून, 1982 को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और 1 नवंबर, 1986 से इसे नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तें 'पंजाब वन अधीनस्थ सेवा (मंत्रिस्तरीय अनुभाग) नियम, 1943(इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित) के रूप में जाने जाने वाले नियमों द्वारा शासित होती हैं।

(2) 3 से 8 उत्तरदाताओं को मूल रूप से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/ड्राफ्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम (संक्षेप में डीआरडीए/डीपीएपी) में नियुक्त किया गया था। यहां यह देखा जा सकता है कि डीआरडीए के माध्यम से भारत सरकार द्वारा रेगिस्तान वनीकरण की कुछ योजनाएं शुरू की गई थीं और डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त जिनके माध्यम से हरियाणा राज्य के विभिन्न विभागों में विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा था। डी. आर. डी. ए. द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को योजनाओं को लागू करने में मदद करने के लिए विभिन्न विभागों में भेजा गया था। प्रत्यर्थी सं 3 से 8 को विभिन्न विभागों को कुछ वानिकी योजनाओं को पूरा करने के लिए भेजा गया था। प्रत्यर्थी सं 3 से 8, 01 मार्च, 1978 से 27 नवंबर, 1981 के बीच वानिकी क्षेत्र में डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. डी. योजनाओं के तहत वन विभाग में शामिल हुए। डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. के तहत योजनाओं को बंद करने पर सरकार योजनाओं के तहत नियुक्त कर्मचारियों को अवशोषित करती है। " डी. पी. ए. पी. के तहत नियुक्त कर्मचारियों के अवशोषण के लिए पदों का सृजन" विषय के तहत वित्तीय आयुक्त और हरियाणा सरकार, वन विभाग के सचिव द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 16 मार्च, 1990 (अनुलग्नक P.5 की प्रति)। उक्त पत्र के पैराग्राफ 1 और 2, जो इस मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं, को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः –

"हरियाणा के राज्यपाल ने डी. पी. ए. पी. योजनाओं के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों के समावेशन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत सामान्य भत्तों के साथ प्रत्येक पद के विरुद्ध उल्लिखित पैमाने पर 1 मार्च, 1989 से 28 फरवरी, 1990 तक निम्नलिखित पदों के सृजन के लिए स्वीकृति प्रदान की है।"

क्रम सं.	पद का नाम	पद संख्या	पैमाने
1.	वन रक्षक	3	900-1,400
2.	क्लर्क	6	950-1,500
3.	चौकीदार	2	750—940
4.	माली	1	750—940
5.	ट्रैक्टर-चालक	4	1200-2,040

2. उपर्युक्त पद इस शर्त के अधीन बनाए गए हैं कि इन पदों को विभाग में भविष्य की रिक्तियों के साथ समायोजित किया जाए और अब बनाए जा रहे पदों को जब भी समायोजित किया जाए, समाप्त कर दिया जाए।

(3) उपरोक्त आदेश के आधार पर, मुख्य प्रधान वन संरक्षक, हरियाणा ने वन विभाग में डीआरडीए/डीपीएपी योजनाओं के तहत भर्ती कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में हरियाणा राज्य के सभी वन संरक्षकों को दिनांक 12 जुलाई, 1990 को एक पत्र (अनुलग्नक पी. 6 पर प्रति) जारी किया। उन 16 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने के बाद, जिन्हें बनाए गए पदों पर शामिल करने की मांग की गई थी-दिनांक 16 मार्च, 1990 के आदेश के अनुसार, यह निम्नानुसार उल्लेख किया गया थाः-

> "उपरोक्त कर्मचारियों के समावेशन के संबंध में, आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि इन कर्मचारियों को विभाग में उनके शामिल होने की तारीख से समायोजित किया जाए। इन कर्मचारियों में से, तदर्थ आधार पर काम करने वाले कर्मचारी ऐसे ही बने रहेंगे, जबकि अन्य नियमित कर्मचारी नियमित कर्मचारी बने रहेंगे और इन कर्मचारियों की वरिष्ठता विभाग की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे तय की जाएगी। यदि यह शर्त किसी भी कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है, तो उसे उसके मूल विभाग में वापस भेज दिया जाना चाहिए। कृपया इस संबंध में कर्मचारियों की सहमति लेने के बाद ही समायोजन के संबंध में कार्रवाई करें और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद तदनुसार इस कार्यालय को सूचित करें।"

(4) याचिकाकर्ताओं ने अनुलग्नक पी. 7 के रूप में, उत्तरदाताओं में से एक (अजीत सिंह) द्वारा दी गई सहमति को संलग्न किया है, जिसमें उन्होंने वन विभाग में वरिष्ठों के निर्धारण के संबंध में शर्त के अनुसार वन विभाग में अवशोषण के लिए सहमति व्यक्त की, जिसे पहले ही ऊपर पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है। उत्तरदाता नं. 3 से 8 को दिसंबर 1990 में वन विभाग, हरियाणा में शामिल किया गया था।

(5) वन विभाग में समायोजित होने के बाद, उत्तरदाताओं ने डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं के तहत अपनी नियुक्तियों की तारीखों से वरिष्ठता का दावा करना शुरू कर दिया। श्री अजीत सिंह को छोड़कर, प्रतिवादी नं. 3, अन्य निजी उत्तरदाताओं ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, अर्थात, 1994 का सी डब्ल्यू पी नं. 18522 यह दावा करते हुए कि उन्हें वन विभाग में वरिष्ठता सौंपी जानी चाहिए, उन तारीखों से प्रभावी जो वे डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं के तहत शामिल हुए थे। प्रस्ताव की सूचना जारी होने पर, आधिकारिक-प्रत्यर्थियों ने जवाब दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह था कि उन याचिकाकर्ताओं (अब निजी-प्रत्यर्थियों) को वन विभाग में शामिल किए जाने से पहले, वे राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं थे और उनके वरिष्ठता से संबंधित मामला विचाराधीन था। उस रिट याचिका का निपटान 1 मई, 1995 को राज्य सरकार को उस मामले में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद, अधिमानतः 31 अक्टूबर, 1995 को या उससे पहले, वरिष्ठता सूची को तेजी से अंतिम रूप देने के निर्देश के साथ किया गया था। यह भी देखा गया कि राज्य सरकार वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देते समय वर्तमान याचिकाकर्ताओं और अन्य प्रभावित व्यक्तियों को सुनने के लिए स्वतंत्र होगी। प्रतिवादी नं. 2. मुख्य प्रधान वन संरक्षक ने 13 नवंबर, 1995 को एक पत्र जारी किया। (अनुलग्नक प. 8 में प्रतिलिपि) सभी अधिकारियों को, जिनमें वहां के याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, जो प्रत्यर्थी सं. 3 से 8 वरिष्ठता के उद्देश्य से नियुक्ति की तारीख जिस पर उन्हें डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं में नियुक्त किया गया था। प्रभावित व्यक्तियों को 28 नवंबर, 1995 को 1130 सुबह पर सभी दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता थी। हालांकि, बाद में, दिनांक 27 नवंबर, 1995 के पत्र के माध्यम से, व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर वापस ले लिया गया लेकिन संबंधित अधिकारियों को केवल अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए थे '

हरियाणा सरकार के वन विभाग के आयुक्त और सचिव द्वारा पारित दिनांक 30 जनवरी, 1998 के आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी. 12 की प्रति) के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्यर्थी सं. 1 मार्च, 1978 से 27 नवंबर, 1981 की अवधि के बीच डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं के तहत नियुक्त होने पर 3 से 8 तक को क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्तियों की तारीखें दी जाएंगी। सटीक तिथियाँ आक्षेपित क्रम में दी गई हैं। हरियाणा के मुख्य प्रधान वन संरक्षक ने दिनांक 30 जनवरी के आदेश को लागू करते हुए 12 अप्रैल, 1996 को (अनुलग्नक पी. 13 की प्रति) एक आदेश जारी किया। 1998 (अनुलग्नक पी. 12) और प्रत्यर्थी नं. 3 से 8 वन विभाग में 1 मार्च, 1978 के रूप में क्लर्क के रूप में अवशोषण की तिथिः 1 मार्च 1978; मई 16,1988; अगस्त 30,1979; सितंबर 9,1980 और नवंबर 27,1981 क्रमशः और तदनुसार, क्लर्क के रूप में उनकी पुष्टि की तारीखों और सहायक के रूप में पदोन्नति की तारीखों को भी बदल दिया (लाई सिंह प्रतिवादी को छोड़कर,). वर्तमान रिट याचिका में दिनांक 30 जनवरी, 1996 और 12 अप्रैल, 1996 के आदेशों (क्रमशः परिशिष्ट पी. 12 और पी. 13) को चुनौती दी गई है।

(6) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी सं 3 से 8 को उनके अवशोषण की तारीख से पहले वन विभाग में कभी नियुक्त नहीं किया गया था। उन्हें केवल उन योजनाओं को पूरा करने के लिए उपरोक्त योजनाओं के तहत काम पर रखा गया था, और उनका रोजगार योजनाओं के बंद होने पर या उन्हें लागू करने के बाद समाप्त या समाप्त होने के अधीन था। अतिरिक्त उपायुक्त, जो डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, उनकी नियुक्ति प्राधिकरण थे, लेकिन चूंकि काम वन विभाग के माध्यम से किया जाना था, इसलिए उन्हें उक्त विभाग में भेज दिया गया। स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक नियंत्रण डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास था न कि वन विभाग के पास। उदाहरण के लिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने बताया कि वन प्रभाग, भिवानी में उपरोक्त योजनाओं के तहत क्लर्क के रूप में काम करने वाले श्री टेक चंद को वर्ष 1985 में वन संरक्षक द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया था। हालाँकि, जब यह बताया गया कि उनका नियुक्ति प्राधिकरण डी. आर. डी. ए., भिवानी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त उपायुक्त है, तो वन संरक्षक द्वारा टेक चंद के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामला अतिरिक्त उपायुक्त-सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेज दिया गया ताकि टेक चंद के

खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। निजी-प्रतिनिधियों को उनके वेतन और भत्तों का भुगतान डी. आर. डी. ए. द्वारा किया जाता था, जहां उन्हें भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए एक अलग बजट से नियुक्त किया जाता था, जिनकी योजनाओं को लागू किया जा रहा था। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रत्यर्थी अजीत सिंह को जारी नियुक्ति पत्र का भी उल्लेख किया, जिस पर परियोजना निदेशक, डी. पी. ए. पी. भिवानी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, यह दिखाने के लिए कि उन्हें वन विभाग में प्राधिकरण द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि 16 मार्च, 1990 के आदेश (अनुलग्नक पी. 5 की प्रति) (इसके सुसंगत भाग को पहले ही पुनः प्रस्तुत किया जा चुका है) से यह स्पष्ट है कि पद 1 मार्च, 1989 से 28 फरवरी, 1990 तक विशेष रूप से 16 व्यक्तियों को शामिल करने के लिए सृजित किए जा रहे थे और पदों को विभाग में भविष्य की रिक्तियों के साथ समायोजित किया जाना था और जब इन पदों को समायोजित किया जाता है, तो नए बनाए गए पद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे। इससे याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नए पदों को 1 मार्च, 1989 से प्रभावी बनाया गया था और निजी-उत्तरदाताओं को कोई पूर्व तिथि देने का सवाल ही नहीं उठता था। निजी-प्रत्यर्थियों को दिनांक 16 मार्च, 1990 के आदेश (अनुलग्नक P.5) के आधार पर अवशोषित किया गया था, जिसके बाद मुख्य प्रधान वन संरक्षक, हरियाणा द्वारा जारी 12 जुलाई, 1990 के पत्र (अनुलग्नक P.6) द्वारा किया गया था। यह विशेष रूप से कहा गया था कि अवशोषण पर ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता विभाग की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे तय की जाएगी और इसके लिए उन्हें भी भेजा जाएगा। यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि सभी प्रत्यर्थियों ने उपरोक्त शर्तों पर अवशोषण के लिए सहमति दी। हालांकि, निजी-उत्तरदाताओं ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने "वास्तव में अपनी वरिष्ठता से समझौता किए बिना उनकी नियुक्तियों की मूल तिथि से गणना करने के लिए" विलय का विकल्प चुना था। प्रतिवादी नं. 8 ने लिखा था कि "मुझे नियमों, विनियमों और अभिलेख के अनुसार वरिष्ठता के क्रम में रखा जाना चाहिए।"

श्री अजीत सिंह के अलावा उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए विकल्पों को रिकॉर्ड में नहीं रखा गया है। आधिकारिक प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए कथन को स्वीकार किया है कि सभी प्रत्यर्थियों ने उनके अवशोषण के लिए सहमति दी थी जैसा कि अजीत सिंह द्वारा दिया गया था, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक P.7 के रूप में संलग्न की गई है। इन परिसरों में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं को वन विभाग

में क्लर्क के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से पहले नियुक्ति की तारीख नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी बताया कि अनुलग्नक पी. 12 के आक्षेपित आदेश में, नियमों के नियम 9 का एक संदर्भ दिया गया है, जिसमें नियम के एक भाग को संदर्भ से बाहर उद्धृत किया गया है और उत्तरदाताओं को उन योजनाओं के तहत उनकी नियुक्ति की तारीखों से उन्हें क्लर्क के रूप में नियुक्ति देने के लिए गलत लाभ दिया गया है।हालाँकि, निजी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त उत्तरदाता वास्तव में उस तारीख से वन विभाग के कर्मचारी थे जब वे शामिल हुए थे और किसी भी मामले में उन्हें वन विभाग में शामिल करते समय, नियमों में उनकी सेवा को गिनने में कोई बाधा नहीं थी जो उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में प्रदान की थी, जो योजनाएं वन विभाग द्वारा लागू की गई थीं।

(7) हालांकि, निजी-उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उक्त उत्तरदाता वास्तव में वन विभाग में शामिल होने की तारीख से ही वन विभाग के कर्मचारी थे और किसी भी मामले में उन्हें वन विभाग में शामिल करते समय, केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को गिनने में नियमों में कोई बाधा नहीं थी, जो वन विभाग के माध्यम से योजनाओं को लागू किया गया था।

(8) पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों में काफी बल है।

(9) विभाग में अवशोषण एक पूर्ण या वैधानिक अधिकार नहीं है। योजनाओं को लागू करने के लिए नियुक्त किए गए निजी-प्रत्यर्थियों की सेवाओं को योजनाओं के पूरा होने या योजनाओं में अधिशेष होने पर समाप्त किया जा सकता था। उन्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं था कि उन्हें वन विभाग में शामिल किया जाना चाहिए। योजनाओं के पूरा होने पर चूंकि कर्मचारियों को अधिशेष होना था, सरकार ने सोचा कि उन्हें सड़क पर डालने के बजाय, उन्हें विभाग में कुछ पद सृजित करके अवशोषित किया जा सकता है और यह विशेष रूप से मुख्य प्रधान वन संरक्षक द्वारा अनुलग्नक पी. 6 में कहा गया था कि अवशोषण पर वे विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होंगेः जिसका अर्थ है कि यदि निजी-उत्तरदाताओं को अवशोषित किया जाता है, तो उन्हें उक्त तिथि पर विभाग में नियुक्त किया गया माना जाएगा। नतीजतन, हमारा विचार है कि अवशोषण, अवशोषण के नियमों और

शर्तों पर होना चाहिए। जैसा कि ऊपर देखा गया है, अवशोषण विशिष्ट शर्तों पर था कि उन्हें पहले से ही सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की वरिष्ठता में सबसे नीचे स्थान दिया जाएगा। मान लीजिए कि उन्होंने इस अवशोषण को स्वीकार नहीं किया था, वे रास्ते पर थे और यह दावा नहीं कर सकते थे कि उन्हें अवशोषित किया जाना चाहिए। हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि निजी-उत्तरदाता वन विभाग के कर्मचारी थे। उनकी नियुक्ति का अधिकार अलग था। वे डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण में थे और वन विभाग में नहीं थे। टेक चंद का चित्रण पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है। यह दावा नहीं किया जा सकता है कि निजी उत्तरदाता किसी अन्य सरकारी विभाग से स्थानांतरण के माध्यम से वन विभाग में शामिल हुए थे। वरिष्ठता से संबंधित नियमों के नियम 9 का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित शब्दों में हैः –

"9. सेवा के सदस्यों की वरिष्ठताः
सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता अनुबंध 'ए' में दर्शाई गई नियुक्ति के प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में स्थायी रिक्ति के लिए उनकी मूल नियुक्ति की तारीखों द्वारा निर्धारित की जाएगीः
परन्तु यदि एक ही तारीख को दो या दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती हैः

(क) सेवा में व्यक्तियों में से चयन द्वारा नियुक्त सदस्य अन्यथा नियुक्त सदस्यों से वरिष्ठ होंगे और अन्य विभागों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त सदस्यों से वरिष्ठ होंगे;
(ख) सदस्यों के मामले में, जिनकी नियुक्ति सेवा में व्यक्तियों में से चयन द्वारा की जाती है या जिनकी नियुक्ति अन्य विभागों से स्थानांतरण द्वारा की जाती है, वरिष्ठता वेतन द्वारा निर्धारित की जाएगी। अधिक वेतन पाने वाले सदस्यों को वरीयता दी जा रही है; और यदि प्राप्त वेतन की दरें समान हैं, तो वरिष्ठता सेवा की अवधि से निर्धारित की जाएगी, लंबी सेवा वाले सदस्यों को वरीयता दी जा रही हैः और यदि सेवा की अवधि भी समान है, तो वरिष्ठता उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी, बड़े सदस्य; वरिष्ठ सदस्य युवा सदस्य;

(10) नियम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ग में स्थायी रिक्ति के लिए उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता निर्धारित की जानी है। ऊपर पुनः

प्रस्तुत खंड (क) और (ख) उस स्थिति से संबंधित है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक ही तिथि पर नियुक्त किया जाता है। उत्तरदाताओं के आक्षेपित आदेश में सं. 1, दिनांक 30 जनवरी, 1996, ऊपर उद्धृत खंड (ख) पर निर्भरता रखी गई है, जैसे कि निजी-प्रत्यर्थियों को स्थानांतरण के माध्यम से नियुक्त किया गया था। हालांकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, खंड (ए) और (बी) केवल उन मामलों में लागू होते हैं जहां एक ही तारीख को दो या दो से अधिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नियम 9 का खंड (ख) निजी-प्रत्यर्थियों के मामले में लागू नहीं होता है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर देखा गया है, निजी उत्तरदाताओं को सरकार के किसी अन्य विभाग से स्थानांतरण के माध्यम से वन विभाग में नियुक्त नहीं कहा जा सकता है। यह डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं के अधिशेष कर्मचारियों के अवशोषण का एक विशिष्ट मामला था। नतीजतन, हमारा विचार है कि निजी-प्रत्यर्थी केवल वन विभाग में अपने अवशोषण की तारीख से अपनी वरिष्ठता की गणना करने के हकदार थे, न कि डी. आर. डी. ए./डी. पी. ए. पी. योजनाओं में उनकी नियुक्ति की तारीख से।

(11) पूर्वगामी कारणों से, हम इस रिट याचिका की अनुमति देते हैं और 30 जनवरी, 1996 (अनुलग्नक पी. 12) और दिनांक 12 अप्रैल, 1996 के आदेशों को रद्द करने की अनुमति देते हैं। (अनुलग्नक पी. 13). हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अजीतपाल सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हिसार, हरियाणा

एस. सी के.
17344/एच. सी.- गवर्नमेंट प्रेस यू. टी., चंडीगढ़